सं.ए.12018/02/2018-डीआर

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(औषधि विनियमन अनुभाग)

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 10 अक्तूबर, 2022

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय सीडीटीएल, हैदराबाद, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद के भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की जाँच कर रहा है। इस संबंध में भर्ती नियमो का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों की टिप्पणियां, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से निर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियाँ अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजी जा सकती हैं या कृपया drugsdiv-mohfw@gov.in. पर भेजी जाएं।

संलग्नक:/यथोपरि

(बिकाश आर माहतो)
अवर सचिव, भारत सरकार,
दूरभाष:- 011-23061141

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, गैर अननुसचिवीय	लेवल 6	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पणी I. केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक छूट। टिप्पणी-II आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले और चंबा जिले के पांगी उप प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई अंतिम तिथि)।

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य: रसायन परीक्षण विधा से- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैवरसायन विज्ञान या फार्मेसी या फार्माकोलाजी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान में	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

स्नातकोत्तर डिग्री या एसोसिएटशिप डिप्लोमा आफ इंस्टीट्युशन आफ कैमिस्ट (इंडिया) या बायोलॉजिकल परीक्षण विधा- से भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से मेडिसिन या माइक्रो बायोलॉजी या फार्माकोलाजी या बायोटेक्नोलाजी में स्नातकोत्तर डिग्री अनुभव- औषधि परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 18 महीने का अनुभव टिप्पणी-। अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं लिखित में रिकार्ड किए जाए कारणों से कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के स्व विवेक से शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी-2 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामलें में, यदि कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय हो कि इन श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेक से अनुभव संबंधी अर्हता शिथिल की जा सकती है।			
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।		
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा नोट: ऐसी रिक्तियों- जो प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर होने या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए रिक्त हो, वे केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे कार्यरत अधिाकरियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएंगी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर धारण करते हों या	लागू नहीं:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। 1 औषधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – अध्यक्ष 2. निदेशक/उपसचिव, औषधि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय- सदस्य 3 निदेशक, (सीडीएससीओ के अधीन प्रयोगशाला) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य	लागू नहीं

समकक्ष, (ii) जो मूल संवर्ग या विभाग में वेतन लेवल 5 (रू. 29200/- से रू. 92300/-) के पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के बाद ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों। (ख): जिनके पास कालम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो।			

[फा.सं.ए.12018/02/2018-डीआर]

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार